(c) whether under the existing norms special casual leave has been granted to Government employees of Delhi during 1990.and 1991 when public means of transport did not operate due to Maha-bandh, Bandh and agitations;

(d) if so, what are the details thereof Department-wise; and

(e) if not, what are the reasons for non-observance of existing norms?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRIMATI MARGARET ALVA: (a) and (b) Such Government employees who cannot attend office on the day of Bandh due to reasons beyond their control can be granted special casual leave if they have to come from a distance of more than 3 miles to their place of duty and the competent authority is satisfied that the absence was due to failure of transport facilities.

(c) to (e) The powers to sanction special causual leave in these cases are exercised by the respective Heads of Departments and details of leave granted to Government employees in Delhi during 1990 and 1991 on account of Bandhs are not centrally available.

केन्द्रीय जांच ब्यरो में कर्मचारियों की संख्या

507. श्री विश्वासराव रामराव पाटिल: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो में कर्मचारियों की संख्या में उतनी वृद्धि नहीं की गई है जितनी कि वहां काम की मात्रा में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां तो क्या सरकार तुरन्त कार्यवाही के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए कोई कदम उठा रही है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस समय केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास कितने मामले लम्बित हैं और ये कब से लम्बित हैं और उनका कब तक निपटारा कर दिया जायेगा ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) से (ग) समय-समय पर जब भी केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से पद संख्या बढ़ाने के लिए प्रस्ताव प्राप्त होते हैं उन पर विचार किया जाता है और वित्त मंत्रालय की सहमति मिलने पर स्वीकृति दी जाती है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से पहले ही यह अनुरोध किया गया है कि वे अपने समस्त कर्मचारियों, अस्थायी और स्थायी, की पद संख्या की तत्काल पुनरीक्षा करें तथा कुछ पदों के संबंध में वित्त मंत्रालय के अध्ययन एकक द्वारा कार्य अध्ययन आयोजित करवाएं।

(घ) दिनांक 31-3-92 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पास 1450 मामले जांच के लिए लम्बित हैं, सबसे पुराना मामला 1978 से लम्बित है। इन मामलों के निपटाने के लिए कोई समय सीमा नियत नहीं की जा सकती क्योंकि ये मामले विभिन्न कारणों से जांच के विभिन्न स्तरों पर लम्बित हैं।

Civil Services Examinations Scheme

508. SHRI S. JAIPAL REDDY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what are the reasons for which exercises like Logical Force, Comparison of Passages, Paragraph Writing, etc. of the former I.A.S. Examination which correctly test the logical thinking of candidates and which can easily be tested through any language medium have been dropped by the UPSC from the Civil Service Scheme of Examination; and

(b) whether the dropping of these exercises is not effecting the testing of logical thinking of the candidates appearing at the said Examination?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL. PUBLIC